



राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला-बाड़मेर

शमाखां पुत्र खानुखां जाति मुसलमान, निवासी
सिंहानिया, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण

1. अकबर पुत्र मिरण
2. अब्दुला पुत्र मिरण
3. अब्दुला पुत्र अमल
4. कुण्डा पुत्र अमल
5. भलेना पुत्र मिरण
6. मामद पुत्र अमल
7. मौलेना पुत्र मिरण
8. हुसैन पुत्र अमल
9. हिदाई पत्नी अमल
- जातियान मुसलमान निवासीगण सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
10. तहसीलदार सेड़वा।

मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु.न.325/2024

प्रार्थी शमाखां पुत्र खानुखां जाति मुसलमान निवासी सिंहानिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल विश्णोई बादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो कि दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र के संलग्न तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या नया 324 के खसरा संख्या 606/323 रकबा 0.0486 किस्म बारानी सोयम भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचार किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के परीक्षणोपरांत प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की अप्रार्थीगण के विरुद्ध पारित की जाती है कि वे प्रार्थी को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा सिंहानिया पटवार क्षेत्र अरटी भू.अ.नि. अरटी के खाता संख्या नया 324 के खसरा संख्या 606/323 रकबा 0.0486 किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, तर्क, दान वसीयत आदि नहीं करें, प्रार्थी के कब्जे-काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे। मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

न्यायालय द्वारा इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी 7 दिवस में रजि.एड्डी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 27/12/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

27/12/24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिग्गज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28/02/25 को पेश हो।

28/02/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिग्गज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12/03/25 को पेश हो।

12/03/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दिग्गज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इलतबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 26/03/25 को पेश हो।



26/03/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आइन्दा दिनांक 14/05/25 को पेश हो

14/05/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तबा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आइन्दा दिनांक 12/05/25 को पेश हो

19/05/25

पत्रावली पेश हुई। पृथी वकील उपस्थित। विपरीतगण के
सम्मत Registered प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली
किया जाता है। पत्रावली वाले विपरीतगण के जवाब हेतु
आइन्दा दिनांक 18/06/25 को पेश हो।

18/06/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यपक्षकारान्त उपस्थित।
पत्रावली वाले विपरीतगण के जवाब हेतु आइन्दा
दिनांक 21/07/2025 को पेश हो।

21/07/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यपक्षकारान्त उपस्थित।
पत्रावली वाले विपरीतगण के जवाब हेतु
आइन्दा दिनांक 19/08/25 को पेश हो।

19/08/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यपक्षकारान्त अनुपस्थित।
पत्रावली वाले विपरीतगण के जवाब हेतु आइन्दा
दिनांक 10/09/2025 को पेश हो।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

10/03/25

पत्रावली पेश हुई। पक्षी उभयपक्षकारान उपस्थित।
पत्रावली वाले विपक्षीगण उभयपक्ष लेहु आदिदा
दिनांक 08/10/25 को पेश हो।

0 8/10/25

पत्रावली पेश हुई। पीछामीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिलल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
आइन्दा दिनांक 25/10/25 को पेश हो।

20/10/25

पत्रावली पेश हुई। पक्षी उभयपक्षकारान उपस्थित। पत्रावली
वासे पूर्व आदेश की पढना में आइन्दा दिनांक
29/12/2025 को पेश हो।

Handwritten signature

30/10/25

पत्रावली पेश हुई। पक्षी उभयपक्षकारान उपस्थित। पक्षी स्वयं
उपस्थित। पक्षी उभयपक्षकारान के निवेदन पर पत्रावली
आपन पेशी पर ली गई। पक्षी उभयपक्षकारान ने
पत्रावली पर वास्ते पत्रावली पर विरोध करने बाब
पेश कर निवेदन किया कि उक्त इनवान के
प्रकरण में पक्षी व विपक्षीगण के बीच में गत
के मौजिन व्यष्टियों ने रजिनामा करवा दिया
है। यह रजिनामा लोक अदालत की भावना
से पेश होकर किया है। अब हमारे बीच
किसी प्रकार का तनना नहीं है। अतः
निवेदन है कि उक्त इनवान के प्रकरण को विरोध
करने का आदेश फरमावे। पक्षी का पत्रावली पर
न्यायक्षेत्र में स्वीकार योग्य है। अतः पक्षी का
पत्रावली पर न्यायक्षेत्र में स्वीकार किया जाकर
उक्त इनवान का रजिनामा आवेदन संख्या 925/2024
को जरूर रजिनामा विरोध किया जाता है।
पत्रावली कैसल गुमार होकर दाखिल करार हो।

Handwritten signature